रिटर्निंग आफिसर का कार्यालय
राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन–2014उत्तराखण्ड

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, माननीय सदस्य, विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन–2014 के लिये श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा, अभ्यर्थी, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के रूप में राज्य सभा निर्वाचन हेतु प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र की वैधता पर आपत्ति के सम्बन्ध में रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चयः

उत्तराखण्ड राज्य से राज्य सभा के एक स्थान को भरने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना संख्या:318/सी0एस0/3/2014(1), दिनांक 03नवम्बर, 2014 द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की गयी है जिसके अनुसार दिनांक 10 नवम्बर, 2014 को 3.00 बजे अपराहन् तक का समय नाम निर्देशन करने की अन्तिम तिथि एवं समय निर्धारित किया गया था। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा, 119–कुम्हार गली, अजबपुर कला, देहरादून, उत्तराखण्ड का इण्डियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में राज्य सभा निर्वाचन–2014 हेतु एकमात्र प्रत्याशी के तीन नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए। नाम निर्देशन पत्रों की संविक्षा हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 11नवम्बर, 2014 को पूर्वाहन् 11.00 बजे से समय निर्धारित किया गया था।

आज दिनांक 11 नवम्बर, 2014 को श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश द्वारा, रिटर्निंग आफिसर, राज्य सभा निर्वाचन–2014 के रूप में मेरे समक्ष श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र पर आपत्तिया प्रस्तुत की गयी।

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 11नवम्बर, 2014 को आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक महोदया की उपस्थिति में श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा के द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्रों की संवीक्षा की गयी । संवीक्षा उपरान्त श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत तीनों नामांकन पत्र वैध पाये गये।

श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा नामनिर्देशन पत्र में प्रस्तुत आपत्तियों के संबंध में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् हैः–

RETURNING OFFICER
CS ELECTION BY ELECTED MLA'S, UTTARAKHAND

1— श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा का यह कथन कि "राज्य सभा निर्वाचन हेतु श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में लगाया गया शपथ पत्र उत्तराखण्ड राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका इस निर्वाचन प्रकिया से कोई सम्बन्ध नहीं है।" यह आपत्ति सत्य से परे है, क्योंकि नामांकन पत्र के साथ उपलब्ध कराये गये शपथ पत्र रिटर्निंग आफिसर के समक्ष यथा—विधि प्रस्तुत किया गया है।

2— श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड विधान सभा का यह कथन कि "श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत नामांकन पत्र में ली जाने वाली शपथ लेकर उस पर नामांकन पत्र जमा करते समय हस्ताक्षर नहीं किये गये। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 84(क) के अनुसार शपथ पत्र पढ़कर उस पर हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त पूर्व में ही हस्ताक्षरित प्रपत्र पढ़ा गया जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधानित अनुच्छेद के विरूद्ध है", के परीक्षण पर पाया गया कि श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत संविधान के उक्त वर्णित अनुच्छेद के अनुसार अपेक्षित शपथ रिटर्निंग आफिसर के समक्ष पढ़ी गयी एवं उक्त शपथ पत्र यथाविधि हस्ताक्षरित किया गया।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा के द्वारा प्रस्तुत नामनिर्देशन पत्र इस आधार पर निरस्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः एतद्द्वारा श्रीमती मनोरमा डोबरियाल शर्मा के नामनिर्देशन पत्र के संबंध में श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल, मा. विधायक द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को खारिज करते हुए आपत्तियों का निस्तारण किया जाता है।

दिनांकः 11 नवम्बर, 2014
स्थानः देहरादून।

रिटर्निंग आफिसर

RETURNING OFFICER
CS ELECTION BY ELECTED MLA'S, UTTARAKHAND